**भारत सरकार**

**शहरी विकास मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0 149**

 **5 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**fnYyh foekuiÙku esVªks ykbu dk Bhd ls dke**

**u djuk**

149- Jh lkfcj vyh%

D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

**¼d½ D;k ;g lp gS fd fnYyh foekuiÙku esVªks ykbu ds Bhd ls dke u djus dh tkap gsrq ea=ky; }kjk xfBr lfefr us ;g fjiksVZ nh gS fd O;oLFkkijd foQyrk ds dkj.k ;g ykbu Ng eghuksa ls vf/kd dh vof/k ds fy, cUn gks xbZ**

**Fkh(**

**¼[k½ ;fn gka] rks ,sls dkSu&ls fof'k"V {ks= gSa ftuesa vifØ;k dh lwpuk nh xbZ Fkh( vkSj**

**¼x½ D;k lacaf/kr O;fDr;ksa dh ftEesnkjh r; dh xbZ gS vkSj muds fo#) D;k dkjZokbZ dh xbZ gS rkfd ;g lqfuf'pr fd;k tk lds fd Hkfo"; esa ,slh ?kVuk,a nqckjk u gks**

**उत्तर**

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

 **(श्रीम‍ती दीपा दासमुंशी)**

1. और (ख): शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति द्वारा दर्शायी गई विफलताओं की सूची अनुलग्‍नक के रूप में दी गई है।

(ग): जांच समिति की रिपोर्ट केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेजी गई थी और केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्शानुसार इस रिपोर्ट को डीएमआरसी के बोर्ड द्वारा जांच करने और रिपोर्ट के निष्‍कर्षों के अनुसार डीएमआरसी के विभिन्‍न पदाधिकारियों के साथ-साथ परामर्शदाताओं और ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए डीएमआरसी को भेजा गया है डीएमआरसी को विभिन्‍न प्रणाली से संबंधित सुधारों की जांच करने का निदेश भी दिया गया है ताकि भविष्‍य में ऐसी विफलता की पुनरावृत्ति न हो।

 डीएमआरसी ने सचिव (शहरी विकास) की अध्‍यक्षता में बोर्ड की उप-समिति का गठन किया है जिसमें मुख्‍य सचिव, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार (जीएनसीटीडी), रेलवे बोर्ड और संयुक्‍त सचिव और वित्‍त सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय शामिल हैं, जो जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगी और आगे कार्रवाई करेगी।

 डीएमआरसी ने सूचित किया है कि परामर्शदाता/ठेकेदार के विरूद्ध निम्‍नलिखित कार्रवाई की गई है:-

(i) चरण-।।। के टेडरों से सिविल कॉन्‍ट्रेक्‍टर (मैसर्स आईजेएमआईजेएम ।। जेवी) को अयोग्‍य करार किया गया है। उन्‍हें चरण-।।। के टेंडरों में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। उनकी पूर्व-योग्‍यता को विलंबन में भी रखा गया है।

(ii) मैसर्स ओरिएंटल कन्‍सलटेंट, जापान के नेतृत्‍व में गठित एयरपोर्ट मेट्रो लाइन कन्‍सलटेंट, कर्न्‍सोटियम की 5.8 करोड़ रूपए की निष्‍पादन सिक्‍योरिटी को जब्‍त कर लिया गया है।

\*\*\*\*\*